के आधार पर अतिरिक्त (समानान्तर) ठेके पर लगाया गया है क्योंकि पैक की गई एल०पी०जी० की ढुलाई के लिए उनके मौजूदा ठेके को सार्वजनिक निविदा के जरिए अंतिम रूप दिया गया था । इस अतिरिक्त (समानान्तर) ठेके के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी ।

(ङ) और (च) पैक की गई एल०पी०जी० को सवाईमाधोपुर संयंत्र से ढुलाई के लिए इस समय कार्य कर रही 10 फर्मों में से चार स्थानीय ट्रांसपोर्टर हैं जिनमें से दो सार्वजनिक निविदा के माध्यम से और दो अतिरिक्त (समानान्तर) ठेका आधार पर लगाए गए हैं।

सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी का बन्द किया जाना

791. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्टरी में पिछले तीन वर्षों से कोई उत्पादन नहीं हुआ है तथा उक्त फैक्टरी के मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यह फक्टरी पुनः कब तक चालू कर दी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार इस फैक्टरी का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ;

(घ) राजस्थान में कितने जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं तथा किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ; और

(ङ) सवाई माधोपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि वहां स्थित एक मात्र सीमेंट फैक्टरी भी पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी है?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड जिसका सवाई माधोपुर में एक सीमेंट संयंत्र है, को राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी की सुविधाएं दी गई थीं । तथापि, चूंकि गारन्टी का नवीकरण नहीं कराया गया यहै अतः 1-7-1988 से बैंक की कार्रवाई बन्द है। राज्य सरकार और कम्पनी के अनुरोध पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक पुनस्थापना योजना तैयार करने के लिए संचालक अधिकरण के रूप में नियुक्त किया । भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा तैयार की गई योजना और इस मामले से सम्बद्ध सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड की विशेष पीठ अपनी 30 जनवरी; 1989 को हुई सुनवाई में प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्य नही बनाया जा सकता और यह न्यायसंगत और उचित है कि इसे बन्द कर दिया जाय । तदनुसार, सभी सम्बन्धित पक्षों से सुझाव/टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है और 5-4-1989 अगली सुनवाई को तारीख निर्धारित की गई थी ।

इस बीच 30 जनवरी, 1989 को औद्योगिक और वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड द्वारा इस एकक को बन्द करने के सम्बन्ध में पारित किए गए, आदेश को एकक के एक प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई । अपील प्राधिकरण ने अपनी टिप्पणियों के संदर्भ मे अपने दिनांक 12-6-1989 के आदेश द्वारा इस मामले की जांच औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दी है।

बी०आई०एफ०आर० ने अपने 25 जुलाई, 1989 के आदेश द्वारा अपील प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आई०आर०बी०आई० को एक नई योजना तैयार करने और अपनी रिपोर्ट 15-9-1989 तक बोर्ड को प्रस्तुत करने का निदेश दिया था। बोर्ड की पीठ ने 8 फरवरी, 1990 के लिए जयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले की सुनवाई निश्चित की थी किन्तु यह सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। बोर्ड ने अब सूचित किया है कि इस मामले की सुनवाई अब 21-3-1990 को होगी।

(ग) ऋण और अंशदेय संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करना सरकार की नीति नहीं है।

(घ) राजस्थान में 16 जिले ऐसे जिले हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है।

किसी जिले को पिछड़ा घोषित करने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों में ये शामिल हैं:-प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जिला प्रधानतः कृषि कामगारों के लिए खाद्यान्न/नकदी फसल आबादी के राशन का एक उत्पादक है, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन क्षमता प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे प्रकार के कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों की संख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, आबादी के संबंध में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी के संबंध में रेलवे मील दूरी। जिन जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्रवाई योजना 1979-80 के अनुसार कोई बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है उन्हें "उद्योग रहित जिलों" के रूप में माना गया था।

(ङ) सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि यह मानदंड पूरे नहीं करता था।

गैस फिलिंग प्लांटों की क्षमता

792. डा० अबराव अहमद खान : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न डिगमों के "गैस फिलिंग प्लांट" कहां कहां स्थित हैं तथा इन प्लांटों की दैनिक फिलिंग क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) देश में गैस सिलेण्डरों की दैनिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) सरकार देश में गैस कनेक्शन चाहने वाले सभी व्यक्तियों को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में सक्षम हो जायेगी?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में लगभग 4.49 लाख एल०पी०जी० सिलिंडरों की दैनिक आवश्यकता है।

(ग) देश भर में नए एल०पी० जी० कनेक्शन तेल उद्योग द्वारा एल०पी०जी० की उपलब्धता होने पर उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं।